**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक-09.03.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **क्रूरतापूर्वक वाहन में क्षमता से अधिक बेजुबान पशुओं को लादकर ले जाते समय 05 अभियुक्तों को थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **एक ट्रक, व डीसीएम में कुल 18 भैंसे व 32 पड़वा लेकर सतना म0प्र0 से फतेहपुर ले जा रहे थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान बिसण्डा-बबेरु रोड मण्डी समिति के पास से किया गया गिरफ्तार।**

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री सौरभ सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 09.03.2025 को सुबह थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान बिसण्डा-बबेरु रोड मण्डी समिति के पास से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों द्वारा एक ट्रक व एक डीसीएम में क्रूरतापूर्वक पशुओ को लादकर ले जा रहे कुल 18 भैंसे व 32 पड़वा बरामद किया गया जिसमें डीसीएम में कुल 18 भैंसे व 03 पड़वा तथा ट्रक में कुल 29 पड़वा थे। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि सभी पशुओं को सतना (म0प्र0) से जनपद फतेहपुर ले जा रहे थे। अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इस सम्बन्ध में थाना बिसण्डा में अभियोग पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी-**

- 18 नग भैंसे व 32 नग पड़वा
- 01 ट्रक (परिवहन में प्रयुक्त)
- 01 डीसीएम (परिवहन में प्रयुक्त)

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. मो0 वसीम पुत्र इकबाल हुसैन निवासी जमडी थाना अनूपपुर जनपद अनूपपुर (म0प्र0)।
2. डब्बू यादव पुत्र अशोक यादव निवासी बजराह टोला कोतवाली सतना जनपद सतना(म0प्र0)।
3. इरशाद पुत्र एहसान खान निवासी खूंटी कोतवाली सतना जनपद सतना (म0प्र0)।
4. इमरान अहमद पुत्र मोइन अहमद निवासी गढ़िया टोला सिविल लाइन सतना (म0प्र0)।
5. शादाब पुत्र हारुन निवासी मूरतगंज थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।

**पंजीकृत अभियोग-**

- मु0अ0सं0 67/25 धारा 11(1)(डी) पशु क्रूरता निवारण अधि0 1960 थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. प्र0नि0 बिसण्डा श्री सुरेश कुमार सैनी
2. उ0नि0 श्री लालाराम
3. हे0कां0 शिवलाल यादव
4. हे0कां0 प्रदीप कुमार